192

संख्या–1426 /XVIII-(2)/16-12(10)/2014

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण विभाग,
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 08 अगस्त, 2016

विषयः– **प्राकृतिक आपदा एस.पी.ए./ए.सी.ए.(आपदा 2013) के अन्तर्गत प्रशिक्षण विभाग के प्रोजेक्ट कोड संख्या–10094 आपदा प्रभावित जनपदों में आई.टी.आई. की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रशिक्षण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली संख्या–70 प्रशि/2014 टी.सी. के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में वित्तीय वर्ष 2016–17 में एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अंतर्गत 07 आई.टी.आई. संस्थानों के लिये कार्यदायी संस्था अवस्थापना विकास निगम द्वारा प्रस्तुत आगणन पर वित्त विभाग की टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई ₹ 2483.38 लाख सिविल कार्यो हेतु तथा अवशेष धनराशि साज–सज्जा हेतु ₹ 16.62 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 25.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 में आयी भीषण प्राकृतिक आपदा से प्रभावित आई0टी0आई0 संस्थानों के पुनर्निर्माण हेतु विशेष आयोजनागत सहायता (पुनर्निर्माण) के अंतर्गत प्रोजेक्ट कोड संख्या–10094 में प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु राज्य योजना आयोग के पत्र संख्या–1456/37-C/रा.यो.आ./एस.पी.ए. (आर)/2015–16 टी.सी., दिनांक 14.12.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 25.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। अतः भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित अवशेष धनराशि ₹ 25.00 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के अनुसार उपलब्ध ₹ 25.00 करोड़ (₹ पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि में से एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अंतर्गत 07 आई.टी.आई. संस्थानों के निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था अवस्थापना विकास निगम द्वारा प्रस्तुत आगणन पर वित्त विभाग की टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई ₹ 2483.38 लाख (₹ चौबीस करोड़ तिरासी लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरण कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. वर्णित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा सी.एस.एस./केन्द्र पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश, मानकों एवं नियमों का पालन किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
2. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति की जा रही है तथा जिन योजनाओं की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के

अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित सचिव/निदेशक, प्रशिक्षण विभाग व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
4. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।
5. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
6. यह धनराशि आपदा 2013 से हुई क्षतियों के पुनर्निर्माण के लिये है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यो के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा। इसके लिये सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग उत्तरदायी होंगे।
7. जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।
8. प्रश्नगत योजनाओं पर नियमानुसार/आवश्यकतानुसार निदेशक, प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के अंतर्गत विभागीय टी.ए.सी. सहित टी.ए.सी. वित्त विभाग व व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
9. निदेशक, प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल आहरण एवं वितरण अधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी.एम.–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित सचिव/निदेशक, प्रशिक्षण उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
12. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।
13. निदेशक, प्रशिक्षण उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रश्नगत चालू कार्यों का मासिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. धनराशि का आहरण सी.सी.एल. हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।
15. आंगणन में स्वीकृत डिजाइन/मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।
16. प्रश्नगत योजनाओं में अगली किस्त उस दशा में अवमुक्त की जायेगी जब योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा।
17. यदि प्रस्तावित कार्यो में से किसी कार्य हेतु प्रशिक्षण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। स्वीकृत

(2)

की जा रही योजनायें किसी अन्य मद से पूर्व में स्वीकृत न की गई हो, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दोहराव (Duplicacy) की स्थिति के लिये विभाग के निदेशक, प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–6 के लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0106–एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा हेतु अनुदान–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त निर्देशों के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–1926 (1)/XVIII-(2)/16-12(10)/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मा. मंत्री, प्रशिक्षण विभाग, उत्तराखण्ड।
5– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– जिलाधिकारी, पिथौरागढ़, चमोली एवं बागेश्वर।
7– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़, चमोली एवं बागेश्वर।
8– निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9– निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
उप सचिव